मंत्रिपरिषद् The council of minister

→ राज्य की कार्यपालिका को सुचारु रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है

→ मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिस पर होती है

→ मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, यदि वह राज्य विधानमंडल (विधान सभा या विधान परिषद) का सदस्य बने बिना मंत्री बन जाता है तो उसे 6 माह के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा (झारखण्ड के केवल वि.स)

मंत्री के प्रकार

↳ ① कैबिनेट मंत्री → इन्हें मंत्रिमंडल का सदस्य भी कहा जाता है। ये कार्यकलाप के मामले में अधिक स्वतंत्र होते हैं

→ मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेते समय मंत्रिमंडल की राय लेते हैं

→ ये सम्बन्धित विभाग के सर्वोच्च कार्यकारी प्रधान होते हैं एवं नीतिगत निर्णय के संदर्भ में इनके विचारों की प्राथमिकता होती है।

↳ ② राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) → ये कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, किन्तु यदि कोई उपविभाग ज्यादा महत्वपूर्ण हो तो उसका प्रभार स्वतंत्र रूप से राज्यमंत्री को दे दिया जाता है

③ राज्यमंत्री → मंत्रिपरिषद में तीसरे स्तर के मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं

कार्यकाल

→ मंत्रिपरिषद का भविष्य मुख्यमंत्री के भविष्य के साथ जुड़ा होता है। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने या बर्खास्त होने से मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है।

मंत्रिपरिषद का कार्य

→ संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को कार्य करने में परामर्श एवं सहयोग देना है मगर वास्तव में शासन का सारा कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है।

→ राज्य के शासन के नीति का निर्धारण

→ विधानमंडल में विधेयक पेश करना

→ राज्य का वार्षिक बजट तैयार करना

→ राज्यपाल को प्रशासनिक नियुक्तियों के लिए सलाह देना

⊙ झारखण्ड के संदर्भ में

→ झारखण्ड के प्रथम मंत्रिपरिषद में 17 कैबिनेट मंत्री, 7 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व दो राज्यमंत्री थे क्योंकि ~~2000 ई. में~~ 2003 से पहले मंत्रियों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी।

→ 91वां संविधान संशोधन अधि. 2003 के अनुसार झारखण्ड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कुल विधान सभा सीट का अधिकतम 15% निर्धारित किया गया जो संख्या की दृष्टि से 12 हो गई।

झारखण्ड के प्रथम मंत्रिपरिषद का कैबिनेट मंत्री

1. बाबुलाल मरांडी → मुख्यमंत्री, गृह, कार्मिक, सूचना
2. यमुना सिंह → वन एवं पर्यावरण
3. अर्जुन मुण्डा → कल्याण
4. सुदेश महतो → पथ निर्माण
5. चन्द्रमोहन प्रसाद → मानव संसाधन (शिक्षा)
6. रघुवर दास → ग्राम नियोजन एवं प्रशिक्षण
7. जोबा मांझी → पर्यटन, महिला एवं बाल कल्याण
8. मृगेन्द्र प्रताप सिंह → वित्त मंत्री
9. रामचन्द्र केसरी → जल संसाधन एवं संसदीय कार्य
10. लाल चन्द्र माहतो → ऊर्जा
11. देव दयाल कथवाहा → कृषि
12. पशुपति नाथ सिंह → उद्योग
13. समरेश सिंह → विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी
14. सधनु भगत → भवन निर्माण व परिवहन
15. देवीधन बेसरा → खाद्य आपूर्ति, वाणिज्य, मत्स्य पशुपालन
16. रामजी लाल सारडा → विधि
17. मधु सिंह → राजस्व एवं भूमि सुधार

झारखण्ड की विधायिका

◈ विधायिका ⇒ राज्यपाल + राज्य विधानमंडल

Note ⇒ झारखण्ड का विधानमंडल एक सदनीय है इसलिए विधायिका = विधानसभा + राज्यपाल

⊙ विधान सभा मे अधिकतम सदस्य संख्या ⇒ 500

⊙ विधान सभा के न्यूनतम सदस्य संख्या = 60

Note ⇒ झारखण्ड के विधानसभा सीटों की संख्या ⇒ 81

◈ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुसार समान प्रतिनिधित्व के लिए प्रत्येक जनगणना की समाप्ती के पश्चात समायोजन किया जाता है

⊙ 42वां संविधान संशोधन अधि. 1976 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि चुनाव क्षेत्रों का नया निर्धारण (परिसिमन) 2001 की जनगणना आंकड़ों के प्रकाशन के बाद किया जाएगा। किन्तु 87 वें संशोधन 2003 के द्वारा परिसिमन का कार्य 2026 तक स्थगित कर दिया गया

विधान सभा की सदस्यता के लिए योग्यता

→ भारत का नागरिक

→ 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो

→ किसी लाभ के पद पर ना हो

कार्यकाल ⇒ सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होती है किन्तु राज्यपाल 5 वर्ष से पूर्व भी विधान सभा भंग कर सकता है

→ आपातकाल की स्थिति में राज्य विधान सभा की अवधी 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है इसे पुनः 6 माह और बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार इसे कुल 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

विधान सभा के सदस्यता की समाप्ती

→ सदस्य खुद त्यागपत्र दे दे

→ अन्य राज्य के किसी विधानमंडल में निर्वाचित हो जाए

→ सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहे

→ यदि वह दल बदल का दोषी पाया जाए

→ दो सीटों से निर्वाचित होने के पश्चात 10 दिन के भीतर एक सीट से इस्तीफा ना दे।

विधानसभा की शक्तियाँ एवं कार्य

→ राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाना (टकराव की स्थिति में संसद प्रभावी)

→ धन वि. विधेयक, वित्त विधेयक बजट वि. स. में प्रस्तुत किए जाते हैं

→ राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से वि. स. के प्रति उत्तरदायी होते हैं इसलिए विधानसभा किसी एक मंत्री या समूचे मंत्रीपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है

→ विधान सभा के दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए

→ वर्ष में विधान सभा के 2 से कम सत्र नहीं होना चाहिए (minimum 2)

⊙ विधान सभा के पदाधिकारी

↓ अध्यक्ष (स्पीकर) ↓ उपाध्यक्ष

→ विधान सभा के निर्वाचित सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष एवं एक को उपाध्यक्ष निर्वाचित करते हैं।

→ अध्यक्ष चुने जाने के बाद वह अपने दल में सक्रिय भागीदारी नहीं कर सकता लेकिन दल से इस्तिफा देने की जरूरत नहीं है।

→ पक्ष विपक्ष के मत बराबर हो जाने की स्थिति में स्पीकर निर्णायक मत देता है।

→ कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह स्पीकर प्रमाणित करता है।

→ स्पीकर (अध्यक्ष) अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है

→ 14 दिन की पूर्व सूचना पर प्रस्तुत एवं अपने सब तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है।

→ कोई सदस्य दल बदल करता है तो उसका दल बदलना उचित है या नहीं यह निर्णय भी स्पीकर लेते हैं।

⊙ विधान सभा उपाध्यक्ष

→ अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उनका सारा काम उपाध्यक्ष करते है।

→ उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते है।

→ झारखण्ड विधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष बागुन सुम्ब्राई थे।

⊙ प्रोटेम स्पीकर (अस्थाई अध्यक्ष)

↳ प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन से पूर्व किया जाता है

↳ प्रोटेम स्पीकर नए सदस्य को सदन मे शपथ दिलवाते है और नए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव का संचालन करते है।

⊙ झारखण्ड के अबतक के विधानसभा अध्यक्ष

① इंदर सिंह नामधारी → डालटनगंज वि.स.

(*) बागुन सुम्ब्राई → कार्यवाहक

② इंदर सिंह नामधारी

③ मृगेन्द्र प्रताप सिंह

(*) सबा अहमद → कार्यवाहक

④ इंदर सिंह नामधारी

⑤ आलमगीर आलम →

⑥ चन्देश्वर प्रसाद सिंह

⑦ शशांक शेखर भोगता

⑧ दिनेश उरांव

⑨ रविन्द्र नाथ महतो → नाला वि.स

→ झारखण्ड विधानसभा में सर्वाधिक 3 बार स्पीकर रहने वाले व्यक्ति → इंदर सिंह नामधारी

→ एक कार्यकाल में सबसे लम्बे समय तक झारखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष दिनेश उरांव रहे जो लगभग 5 वर्ष तक स्पीकर रहे। ये सिसई वि. स. के सदस्य थे

→ अलग-अलग 3 कार्यकाल के माध्यम से सर्वाधिक समय तक (5 वर्षों तक) इंदर सिंह नामधारी विधान सभा के स्पीकर रहे।

प्रथम विधान सभा उपाध्यक्ष बागुन सुम्ब्रई
↳ 4 बार पाकुड़ बाला से MLA

प्रथम प्रोटेम स्पीकर विशेश्वर खां
↳ 9 बार नाला विधान सभा से MLA रहे
↳ ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से थे

5वी विधान सभा के प्रोटेम स्पीकर
↳ मधेपुर विधान सभा से JMM के MLA
↳ प्रथम विपक्ष का नेता (Congress)

#